भारत सरकार / Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र / Raja Ramanna Centre for Advanced Technology
लेसर जैवचिकित्सा अनुप्रयोग प्रभाग / Laser Biomedical Applications Division
आरएमसी कार्यालय / RMC Office

Ref: RRCAT/LBAD/RMC/Circular/01/2023/ December 08, 2023

परिपत्र / CIRCULAR

इन–विट्रो फ़र्टिलाइज़ेशन उपचार का विकल्प चुनने वाले राराप्रप्रौके के सीएचएसएस लाभार्थियों के लिए दिशा–निर्देश

Guidelines for the CHSS beneficiaries of RRCAT opting for In-Vitro Fertilization treatment

इन–विट्रो फ़र्टिलाइज़ेशन (आईवीएफ़) उपचार का चयन करने वाले सीएचएसएस लाभार्थी को पहले राराप्रप्रौके चिकित्सा केन्द्र (आरएमसी) के चिकित्सक या राराप्रप्रौके के अधिकृत चिकित्सा परिचारक (एएमए) से रेफ़रल लेकर राराप्रप्रौके के पैनलबद्ध अस्पताल के स्त्री–रोग विशेषज्ञ / प्रसूति रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए।

The CHSS Beneficiary opting for In-Vitro Fertilization (IVF) treatment should first consult a Gynaecologist/ Obstetrician of an empaneled hospital of RRCAT by taking referral from a doctor of RRCAT Medical centre (RMC) or a RRCAT Authorised Medical Attendant (AMA) .

गर्भधारण के लिए रूढ़िवादी चिकित्सा उपचार की विफलता का एक दस्तावेज़ी प्रमाण / साक्ष्य पैनल में शामिल अस्पताल में जाँच / उपचार करने वाली स्त्री–रोग विशेषज्ञ / प्रसूति रोग विशेषज्ञ से अस्पताल के लेटरहेड पर चिकित्सक की मुहर और हस्ताक्षर के साथ प्राप्त किया जाना चाहिए।

A documentary proof /evidence of failure of the conservative medical treatment(s) for conceiving should be obtained from the examining/ treating Gynaecologist/ Obstetrician of the empaneled hospital with the Doctor’s seal and signature on a hospital letter-head.

इन–विट्रो फ़र्टिलाइज़ेशन (आईवीएफ़) उपचार लेने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि) से अनुमति / अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अनुलग्नक–I में दिया गया प्रपत्र भरकर सहायक कार्मिक अधिकारी (आरएमसी) को जमा करना होगा।

The form given in ANNEXURE-I is to be filled in and submitted to APO (RMC) for seeking permission/ approval from Department of Atomic Energy (DAE) for availing IVF Treatment.

अनुलग्नक–II और अनुलग्नक–III में दिए गए 'वचन–पत्र' (अण्डरटेकिंग) को भी भरा जाना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि आज तक दम्पत्ति की कोई जीवित सन्तान नहीं है और आईवीएफ़ उपचार के लिए भारत सरकार से पहले किसी प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया गया था।

"Undertakings" given in ANNEXURE-II and ANNEXURE-III should also be filled in stating that there is no living children of the couple as on date and no reimbursement was claimed earlier from Govt. of India for an IVF treatment.

अनुलग्नक–I में विधिवत हस्ताक्षरित और भरे हुए फ़ार्म की हार्ड प्रति संलग्नक के रूप में उसमें उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ सहायक कार्मिक अधिकारी, आरएमसी (लेसर आर एण्ड डी ब्लॉक ए–1, पहली मंज़िल, कमरा नं. 6) को जमा करनी होंगी।

The hard copy of the duly signed and filled-in form in ANNEXURE-I along with all the required documents mentioned therein as enclosures will have to be submitted to Asstt. Personnel Officer, RMC (Room No. 6, 1st Floor, Laser R & D Block-A1).

परमाणु ऊर्जा विभाग से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् सीएचएसएस लाभार्थी उपचार लेने के लिए सीधे आईवीएफ़ क्लिनिक में जा सकता है। सीएचएसएस लाभार्थी को राराप्रप्रौके चिकित्सा केन्द्र के चिकित्सक (आरएमसी) या राराप्रप्रौके के अधिकृत चिकित्सा परिचारक (एएमए) से रेफ़रल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

After obtaining permission/ approval from DAE, the CHSS Beneficiary can directly go to an IVF Clinic for availing the treatment. The CHSS Beneficiary does not need to take any referral from a Doctor at RRCAT Medical Centre (RMC) or a RRCAT Authorized Medical Attendant (AMA).

आईवीएफ़ क्लिनिक एक सरकारी अस्पताल का हिस्सा होना चाहिए। यदि यह एक निजी क्लिनिक या निजी चिकित्सा संस्थान का हिस्सा है तो इसे आवश्यक रूप से राज्य/केन्द्र सरकार के साथ पंजीकृत होना चाहिए। आईवीएफ़ क्लिनिक पर निर्णय लेने से पहले यह सुनिश्चित करना लाभार्थी पर निर्भर करता है कि आईवीएफ़ क्लिनिक में प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उपकरण और प्रशिक्षित जनशक्ति सहित सभी आवश्यक सुविधाएँ हों।

The IVF Clinic should be a part of a Government Hospital. In case, it is a private clinic or part of a private Medical Institution then it should necessarily be registered with State/Central Government. It is up to the beneficiary to ensure, before deciding on an IVF Clinic, that the IVF Clinic has all the necessary facilities including equipment and trained manpower for carrying out the procedure.

प्रतिपूर्ति के लिए ₹ 65,000.00 (₹ पैंसठ हज़ार केवल) प्रति चक्र या वास्तविक लागत, जो भी कम हो, से अधिक की राशि की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस राशि में आईवीएफ़ के दौरान दवाओं की लागत, पेशेवर शुल्क, डिस्पोज़ेबल और निगरानी लागत (रक्त परीक्षण, स्कैनिंग शुल्क आदि) शामिल होंगे।

An amount not exceeding ₹ 65,000.00 (₹ Sixty Five Thousand only) per cycle or the actual cost, whichever is lower, will be allowed for reimbursement. This amount will be inclusive of the cost of drugs, professional charges, disposables and monitoring cost (blood test, scanning charges etc) during IVF procedures.

आईवीएफ़ प्रक्रिया पर किए गए व्यय के प्रतिपूर्ति की अनुमति अधिकतम तीन (03) नए चक्रों तक दी जाएगी।

Reimbursement of expenditure incurred on IVF procedure will be allowed for up to a maximum of three (3) fresh cycles.

आईवीएफ़ उपचार या उसके बाद की प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित किसी भी प्रश्न/सन्देह के लिए, सीएचएसएस लाभार्थी को केवल सहायक कार्मिक अधिकारी (आरएमसी) से फ़ोन नम्बर 0731–2488167 या ई–मेल आईडी apormc@rrcat.gov.in पर सम्पर्क करना चाहिए। है।

For any queries/doubt pertaining to IVF treatment or its subsequent reimbursement, the CHSS beneficiary should contact (phone number 0731-2488167 and e-mail ID apormc@rrcat.gov.in) the Asstt. Personnel Officer (RMC).

आईवीएफ़ उपचार का विकल्प चुनने वाले सीएचएसएस लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त दिशा–निर्देशों का सख़्ती से पालन करें।

The CHSS beneficiaries opting for IVF treatment are requested to strictly abide by the above guidelines.

एलिजाबेथ
08/12/2023
(एलिज़ाबेथ जे. जॅक्सन)
सहायक कार्मिक अधिकारी (चिकित्सा केन्द्र, राराप्रप्रौके)
लेसर जैवचिकित्सा अनुप्रयोग प्रभाग, राराप्रप्रौके

एलिज़ाबेथ जे. जैक्सन / Elizabeth J. Jackson
सहायक कार्मिक अधिकारी / Asstt. Personnel Officer
भारत सरकार / Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र
Raja Ramanna Centre for Advanced Technology
डाकघर केट, इन्दौर / P. O. CAT, Indore-452013

प्रति / To,

- समस्त सूचना पट्ट / All Notice Board
- मेल ऑल / Mail All
- प्रभारी, राराप्रप्रौके चिकित्सा केन्द्र / In-charge, RRCAT Medical Centre
- प्रमुख, संगणक प्रभाग, राराप्रप्रौके / Head, Computer Division, RRCAT : (इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को पेंशनर कॉर्नर और कर्मचारी कॉर्नर पर राराप्रप्रौके की वेबसाइट पर अपलोड करें / With a request to upload the Circular on Pensioner's and Employee's Corner on RRCAT Website)
- निदेशक कार्यालय, राराप्रप्रौके / Director's Office, RRCAT
- अध्यक्ष, एसीआरएमसी एवं सदस्य / Chairman and Members of ACRMC
- महासचिव, केटसा / General Secretary, CATSA
- महासचिव, केटगंगा / General Secretary, CATGANGA
- प्राचार्य, एईसीएस, राराप्रप्रौके / Principal, AECS, RRCAT